संख्या–2990 / सत्तर–6 / 2007–2(441) / 2007

प्रेषक,

आर0के0मिश्र
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक 26 दिसम्बर, 2007

विषय:–नवीन महाविद्यालय / पाठ्यक्रम की स्थापना / संचालन हेतु क्लीयरेंस प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–653 / पू0वि0वि0 / सम्ब0 / (एक) / 2007, दिनांक 17.07.2007 के संदर्भ में यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासन ने सम्यक विचारोपरांत प्रस्तावित बाबा रामदल सूरजदेव स्मारक महाविद्यालय, माधोपुर, नवापुरा, रसड़ा, बलिया को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, भूगोल एवं अर्थशास्त्र विषयों में स्ववित्तपोषित योजना के अंतर्गत शिक्षण कार्य प्रारंभ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान कर दी है:–

(1) उक्त पाठ्यक्रम में स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा वहन किया जायेगा एवं इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करनी होगी।

(2) उक्त पाठ्यक्रम राज्य सरकार की स्वीकृति मिल जाने और उसके पश्चात् संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही प्रारम्भ किया जायेगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारंभ नहीं की जायेगी।

(3) उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी, जब यह संस्था शासनादेश संख्या–3075 / सत्तर–2–2002–2(166) / 2002, दिनांक 27 सितम्बर,2002 एवं समय–समय पर जारी तत्संबंधी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकतायें एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।

(4) उक्त संस्था भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये न तो शासन से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुयी वित्तीय दायित्वों की देनदारी राज्य सरकार की होगी।

बा0 रामदल सूरजदेव स्मारक पी0जी0 कालेज
माधोपुर (पकवाइनार) नवापुरा (रसड़ा)–बलिया

Scanned with CamScanner

(5) उक्त पाठ्यक्रम के बाबत किसी लायबिलिटी से राज्य सरकार का कोई सरोकार नहीं होगा।

(6) राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्व संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(7) उक्त पाठ्यक्रम का संचालन अनापत्ति हेतु उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव में मौजा–माधोपुर तौफिर, परगना–सिकन्दरपुर गर्बी, तहसील–रसड़ा, जिला–बलिया की आराजी नं0–330 में 2.50 एकड़ अर्थात् 10250 वर्गमीटर भूमि पर ही किया जायेगा। अन्य भू–खण्ड या स्थान पर पाठ्यक्रम की संचालन की स्थिति में यह अनापत्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

(8) सम्बद्धता का प्रस्ताव उपलब्ध कराने से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि महाविद्यालय के नाम भूमि राजस्व अभिलेखों में विधित अंकित है एवं एक स्थान पर व परस्पर सटी हुई है।

2– कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0के0मिश्र)
अनु सचिव।

संख्या–2990(1)/सत्तर–6/2007, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रबन्धक, प्रस्तावित बाबा रामदल सूरजदेव स्मारक महाविद्यालय, माधोपुर, नवापुरा, रसड़ा, बलिया।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0मिश्र)
अनु सचिव।

प्रबन्धक
बाबा रामदल सूरजदेव स्मारक पी0जी0 कालेज
माधोपुर (नवाइनार) नवापुरा (रसड़ा)–बलिया

Scanned with CamScanner